

29/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में ~~वक्तव्य~~ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/5/22
को पेश हों।

29/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में ~~वक्तव्य~~ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/5/22
को पेश हों।

29/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में ~~वक्तव्य~~ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/6/22
को पेश हों।

छगनलाल बनाम चौथमल वगैरे
वाद संख्या 201/2021

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.06.2022 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावे। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राज मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष सहमत है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू/2024/2402 दिनांक 03.05.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदा काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

